न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला अलवर(राज0)

अध्याशितः– श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
42 / 22	14.2.22	23.3.22

<u>उनवान</u>

1. पुनीत जैन (एच.यू.एफ) जर्ये पुनीत जैन पुत्र एस.के.जैन जाति महाजन निवासी किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–वादी

<u>बनाम</u>

1. अलमदीन पुत्र श्री कटारी जाति मेव निवासी ग्राम बेडा का बास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।
3. उपपंजियन अधिकारी किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितिः– 1. वादी की ओर से धीरसिंह वकील
2. प्रतिवादी नं0 2 की ओर से जवाब।

<u>निर्णय</u>

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:–

वकील वादी ने दावा पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा संख्या हाल–1163 रकबा 0.6700, 1173 रकबा0.0900, 1174 रकबा 0.4600, 1181 रकबा 0.4300, 1303 रकबा 0.9100, 1305 रकबा 0.0400, 1306 रकबा 0.1000, 1316 रकबा 0.3400, 1317 रकबा 0.2500, 1318 रकबा 0.1400, 1319/1707 रकबा 0.1600, 1321 रकबा 0.5600, 1326 रकबा 0.0500हे0 किता 16 रकबा 5.2100 है0 स्थित वाके ग्राम बेडा का बास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 में स्थित है।

उक्त आराजी मे से आराजी ख0 सं0–1317 रकबा 0.2500 हे0 वाद में विवादित आराजी कहलावेगी । वास्ते मुलाहिजा नक्ल जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 लफे हाजा वाद पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व रिकार्ड हाल जमाबन्दी में वादी के नाम का अंकन बतोर खातेदार दर्ज हो रहा है तथा वादी के खातेदारी के अंकन के बाद राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अ. विव–बकाशत अलमदीन पुत्र कटारी मेव साकिन देह उपकृषक साल 7 खसरा संख्या 1317 का अमल दरामद हो रहा है। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी से किसी प्रकार संबंध व सरोकार नही है। जो वादी के विरूद्ध है। जिसके कारण वादी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम का बकाश्त के अंकन कलमजन कराकर वादी तन्हा अपने नाम का खातेदारी का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराकर ता–हाल जमाबन्दीयात में अपने नाम का अंकन बतोर खातेदार कराने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने का हकदार है।

अतः प्रार्थना है वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण बहक वादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः–

अ– यह है कि डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 इस प्रकार पारित की जाकर करार दिया जावे कि आराजी ख0 सं0 हाल 1317 रकबा 0.2500 हे0 स्थित वाके ग्राम बेडा का बास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान की बाबत राजस्व रिकार्ड में वादी के खातेदारी के अंकन के बाद हो रहे गलत अंकन बकाश्त अलमदीन पुत्र कटारी जाति मेव उपकृषक साल 7 खसरा संख्या 1317 के गलत अंकन को हजफ किया जाकर वादी को आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर ता–हाल राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे ।

ब– डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज पारित कि जाकर करार दिया जावे कि जो गलत इन्द्राज साबिक वो हॉल जमाबन्दीयात में दर्ज हो रहा है। जो वादी के विरूद्ध बातिल व बेअसर है उन्हे निरस्त फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर तन्हा वादी के नाम आराजी की खातेदारी दर्ज की जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर समस्त राजस्व रिकार्ड ता हाल तक में दुरूस्ती की जावे।

स– डिक्री हुक्मईम्तनादवामी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 इस अमर की सादि पारित कि जावे कि विवादीत आराजी ख0 सं0 हाल –1317 रकबा 0.2500 हे0 स्थित वाक ग्राम बेडा का बास तहसील किशनगढबास जिला अलवर को प्रतिवादी सं0 1 किसी दीगर को रहन,बय,लिज,हिबा इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, नाही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा रूकावट, मजाहमत, मदालखत पैदा करे, नाही वादी को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करे, ना ही वादी द्वारा उक्त आराजी में बोई वो कुदरती पैदावार को नष्ट करे, नाही वादी को आरजी से बेदखल करे । प्रतिवादी सं0 2 व 3 उक्त आराजी की बाबत कोई दस्तावेज पंजीबद्ध हेतु प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध नही करे। मौका व रिकार्ड में किसी प्रकार को कोई परिवर्तन ना करे । मोका व रिकार्ड कि यथावत स्थिति बनाई रखी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner

द–खर्चा मुकदमा का वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे ।

य– दीगर न्यायोचित दादरसी जो अदालत श्रीमान उचित समझे,वादीगण को अता फरमायी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 1 बावजूद सूचना उपस्थित नही उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा प्रतिवादी सं0 2 ने दावे को स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया कि आराजी ख0न0 1317 रकबा 0.25 हे0 किस्म बारानी वाके ग्राम बेडा का बास पर वादी की कब्जा काश्त है। वादी ने मौके पर सरसो की फैसल बोई हुई है। वादी ने बतोर साक्ष्य स्वयं का शपथ पत्र पीडब्लू–1 पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में मौका रिपोर्ट प्रदर्श –1, हाल जमाबंदी प्रदर्श –2 पेश की है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि विवादीत आराजी ख0 सं0 हाल –1317 रकबा 0.2500 हे0 स्थित वाक ग्राम बेडा का बास तहसील किशनगढबास जिला अलवर वादी की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है तथा हाल राजस्व रिकार्ड में जो अमल प्रतिवादी सं0 1 का हो रहा है वा खिलाफ मोका एवं कानून है। चूकि वादी आराजी का बतोर खातेदार है । विवादित आराजी पर जो अमल उपकृषक साल 7 प्रतिवादी सं0 का हो रहा है उसे दुरूस्त कर वादी को काबिज काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी सं0 1 किसी दीगर को रहन,बय,लिज,हिबा इत्यादि द्वारा मुन्तकिल ना करे, नाही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा रूकावट, मजाहमत, मदालखत पैदा करे, नाही वादी को उक्त आराजी से जबरन बेदखल करे, ना ही वादी द्वारा उक्त आराजी में बोई वो कुदरती पैदावार को नष्ट करे, नाही वादी को आरजी से बेदखल करे ।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया ।पत्रावली में संलग्न हाल जमाबंदी सं0 2075 से 2076 में वादी खातेदार दर्ज है हाल जमाबंदी के खाता सं0 76 में वादी की अन्य आराजी भी खातेदारी में अंकित है जिस पर वादी स्वयं खातेदार है। तथा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं जवाब सरकार में भी वादी की कब्जा काश्त बताई है। जिससे साबित होता है कि आराजी विवादित वादी की कब्जा काश्त आराजी है। एवं जो अमल प्रतिवादी सं0 1 अलमदीन पुत्र कटारी जाति मेव उपकृषक साल 7 ख0न0 1317 का हो रहा है उसे कलमजन किया जाना उचित एवं न्यायासंगत प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है कि :–

वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 1317 रकबा 0.2500 हे0 वाके ग्राम बेडा का बास तहसील किशनगढबास में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकार्ड में जो **अमल प्रतिवादी सं0 1 अलमदीन पुत्र कटारी का जाति मेव उपकृषक साल 7 ख0न0 1317 का हो रहा है उसे कलमजन किया जाने के आदेश दिये जाते है।** तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। खर्चा फैरीकेन अपना– अपना वहन करेगें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय टकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner